# कार्यालय दुर्ग–भिलाई अरबन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसायटी
## जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष क्र0 21अ दुर्ग (छ0ग0)
## जिला – दुर्ग (छ.ग.) 491001
फोन नं. 0788–2220175 **Email dbcitybus@gmail.com**

---

दुर्ग भिलाई अरबन पब्लिक ट्रासंपोर्ट सोसायटी की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य निम्नानुसार है –

1. राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित / वित्त पोषित विभिन्न स्कीमों की प्रोन्नति तथा उसका क्रियान्वयन।
2. संबंधित शहरी क्षेत्र (अरबन एग्लोमरेशन) में अरबन सिस्टम के सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना।
3. संबंधित शहरी क्षेत्र (अरबन एग्लोमरेशन) में Mass and Rapid सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को विकसित करते हुए निजी वाहनो के उपयोग एवं यातायात घनत्व में कमी करना।
4. संबंधित शहरी क्षेत्र (अरबन एग्लोमरेशन) अंतर्गत जिला एवं निकाय स्तरीय एजेन्सियां जैसे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, पुलिस प्रशासन, नगरीय निकाय आदि के माध्यम से शहरी यातायात के समग्र विकास की योजना तैयार करवाना एवं उन्हे आवश्यक मार्ग दर्शन प्रदान करना।
5. शासकीय योजना अंतर्गत शासन द्वारा प्रायोजित अनुसार अरबन एग्लोमरेशन में शहरी यातायात माध्यमों जैसे –सिटी बस आदि का संचालन तथा संधारण स्वयं के द्वारा अथवा नियमों / प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित आपरेटरों के द्वारा करवाना।
6. शहरी यातायात हेतु बस डिपो, बस टर्मिनल, बस स्टैण्ड बस स्टाप आदि की समुचित व्यवस्था करना।
7. शहरी यातायात माध्यमों जैसे सिटी बसो के संचालन हेतु वैज्ञानिक रीति से मार्गो का चयन एवं समय सारणी आदि की व्यवस्था करना।
8. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप यथा नगरीय क्षेत्रो (अर्बन एग्लोमरेशन) को समाविष्ट करना। जिससे आम नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक लाभ मिल सके।
9. सोसायटी के संरक्षक प्रमुख सचिव / सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नया रायपुर, कलेक्टर दुर्ग पदेन अध्यक्ष जिला दुर्ग एवं आयुक्त पदेन सचिव नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग है।
10. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यात्री परिवहन संबंधी जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है।

नोडल अधिकारी
दुर्ग भिलाई अरबन
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसायटी